SINCE 2008

1920

PROSPECTUS

PRAGATI INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, RAJGARH
SESSION : 2019-2020

UNDER DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING (H.P.)

प्रगति आई.टी.आई., राजगढ़

Industrial Training Institute

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों
में प्रवेश हेतु विवरण पुस्तिका सत्र 2019-2020

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

Affiliated and Recognised by :

NCVT & NIOS, Govt. of India & Directorate of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Govt. of Himachal Pradesh

प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (ITI)
खैरी रोड़, राजगढ़, जिला सिरमौर – 173 101 Tel.: 01799-221019

NOTICE

RAGGING INSIDE/OUTSIDE THE INSTITUTION IS AN OFFENCE AS PER THE HIMACHAL PRADESH EDUCATION INSTITUTION (PROHIBITED OF RAGGING) ORDINANCE 2009 EVERY OFFENCE UNDER THIS ORDINANCE SHALL BE CONGNIZABLE NON-BAILABLE AND COMPOUNDABLE WITH THE PERMISSION OF COURT ANY STUDENT FOUND INDULGED IN RAGGING, ACTIVITIES DIRECTLY / INDIRECTLY STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST HIM/HER AS PER LAW.

अति आवश्यक सूचना

1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि विवरण पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर दी गई है तथा उसके अलावा विभिन्न प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में अलग से प्रकाशित की जायेगी। सभी संस्थानों में सत्र 2019-2020 की कक्षाऐं जुलाई 2019 से पुर्णतया शुरू हो जायेगी।

2 प्रत्याशी आवेदन–पत्र भरने से पहले विवरण पुस्तिका का अच्छी तरह अध्यन्न कर लें।

3 अधूरा भरा हुआ या बिना सही प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन–पत्र रद्द किया जा सकता है।

4 निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार जिस तिथि को प्रत्याशी को प्रवेश हेतु आना है यदि वह निर्धारित तिथि एवं समय पर उस दिन सम्बन्धित कार्यालय में मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर वर्ग एवं योग्यता अनुसार चयनित होने पर शुल्क इत्यादि उसी समय जमा करवा कर प्रवेश प्राप्त न कर सके तो छात्र/छात्रा का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जायेगा और उसके उसके स्थान पर उसी समय वर्गानुसार योग्यता सूची के आधार पर अगले छात्र/छात्रा को दाखिल कर लिया जायेगा।

नोट :– प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत् कर्मचारियों व बाहरी राज्यों के बच्चों के लिए ही उपलब्ध हैं।

5 आरक्षित वर्ग के प्रमाण में प्रमाण–पत्र सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गये हों।

नोट:– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश नियमानुसार प्रत्येक व्यवसाय के लिए निंधारित न्युनतम शैक्षिणक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर पूर्णतया योग्यतानुसार सम्पन्न होगा।

6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सामान्यता 14 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्याक्षी आवेदन कर सकते है अधिकतम आयु सीमा निंधारित नहीं है।

नोट :– Right to Information Act 2005 की अनुपालना के दृष्टिगत प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन करने वाले संस्थानों में आवश्यक कार्यप्रणाली अपनाना जरूरी होगा।

(क) यदि प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित तिथि को सम्पन्न न हो पाये तो प्रत्याशी को अगले दिन के लिए रूकना पड़ सकता है और उन्हें ठहरने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(ख) साक्षात्कार हेतु आने वाले प्रत्याशियों को कोई टी०ए० / डी०ए० देय नहीं होगा।

ELECTRICIAN WORKSHOP

COMPUTER LAB

CUTTING & TAILORING WORKSHOP

नोट:–

1. सभी कोर्सों (Trades) के लिए प्रत्याशी को एक ही आवेदन–पत्र देना होगा।

2. विवरण पुस्तिका में निर्धारित आवेदन–पत्र के अलावा उसकी किसी भी प्रकार से की गई कापी (टाईप अथवा फोटोस्टेट इत्यादि) मन्जुर नहीं की जाएगी।

3. प्रत्याशी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र का किन्हीं कारणों से मिलने में विलम्ब होना या परागमन में लोप हो जाने का कार्यालय पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित (Attested) प्रतियां साथ संलग्न करनी होंगी, चाहे वे प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां ही क्यों न हो :–

4.1 जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड/स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।

4.2 शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा दिया/दिए गए प्रमाण पत्र।

4.3 हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र अथवा हिमाचल प्रदेश/भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे होने का प्रमाण–पत्र।

4.4 जिस आरक्षित वर्ग/उप वर्ग के अर्न्तगत (अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े क्षेत्र के निवासी इत्यादि) प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र दिया गया है उस वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सम्बन्धित इलाका के समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो।

4.5 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र २ वर्ष से अधिक पुराना न हो।

4.6 चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि उस संस्थान के प्रधानाचार्य महोद्य द्वारा दिया गया हो, जहाँ से कि प्रत्याशी अन्तिम परीक्षा पास की है अथवा राजपत्रित कर्मचारी द्वारा दिया गया हो तथा ६ महीनों से अधिक अवधि से पुराना न हो।

(क) इंजीनियरिंग ट्रेडं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ :

क.स.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता
1	इलैक्ट्रीशियन (Electrician)	दो वर्ष	मैट्रिक या बोर्ड/युनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा मे पास तथा इस परीक्षा में गणित तथा विज्ञान में भी पास होना अनिवार्य है।

(ख) गैर–इंजीनियरिंग व्यवसाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ (NIOS):

क.स.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता
1	**CUTTING & TAILORING, DRESS MAKING** **कटिंग एण्ड टेलरिंग व ड्रैस मेकिंग**	**1 YEAR**	5th, 8th, 10th & Above
2	**CUTTING & TAILORING** **कटिंग एण्ड टेलरिंग**	**6 MONTHS**	5th, 8th, 10th & Above
3	**CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION** **सर्टिफिकेट इन कम्पयूटर एप्लीकेशन**	**1 YEAR**	10th & Above
4	**CERTIFICATE IN DESKTOP PUBLISHING** **सर्टिफिकेट इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग**	**6 MONTHS**	10th & Above

नोट :

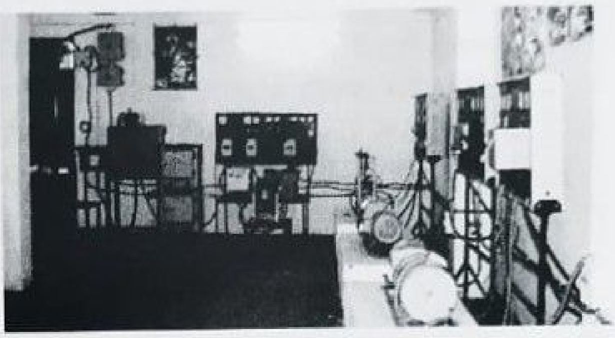

Electrical Workshop

(क) प्रत्याशी को आवेदन–पत्र में ठीक सूचना देनी चाहिए। यदि कोई भी दी गई सूचना किसी भी समय गलत/झूठी अथवा छिपाई हुई पाई गई तो विद्यार्थी को संस्थान से निकाला जा सकता है यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश पाने हेतु गलत ढ़ंग अपनाने या अपने प्रमाण–पत्रों की मूल अथवा सत्यापित प्रतियों में किसी भी स्टेज पर परिवर्तन अथवा (Tempring) किए हुए पकड़ा गया तो उनका प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा और इसके अलावा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(ख) यदि किसी प्रत्याशी ने गलत, झूठे प्रमाण–पत्र पेश करके, हिमाचल प्रदेश के किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लिया हो तो इस तथ्य के पता लगाने पर उस संस्थान के दाखिले को उसी क्षण रद्द कर दें तथा उसके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी करें।

शुल्क तथा दूसरे व्यय (**Fees and other charges**) See Annexure-I

नोटः– फीस व अन्य शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में दिये गये शुल्क अनुसार मान्य होंगे।

1- प्रवेश के लिए चुने गए प्रत्याशियों को निम्नलिखित शुल्क तथा दूसरे व्यय देने होंगे :–

(क) संस्थान शुल्क

I- प्रवेश शुल्क (Admission Fee)..

II- शैक्षणिक शुल्क (प्रतिवर्ष) (Tuition Fee)..

III- पहचान पत्र शुल्क (प्रत्याशी द्वारा सम्बन्धित प्रधानाचार्य को पहचान–पत्र में लगाने के लिए एक पासपोर्ट साईज की फोटो भी देनी होगी। ....

IV- विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क (प्रतिवर्ष)..

V- विकास शुल्क भवन निधि सहित (प्रतिवर्ष)..

VI- बिजली तथा पानी के खपत Charge..

VII- सांस्कृतिक गतिविधीयां..

VIII- चिकित्सा शुल्क (प्रतिवर्ष) ....

IX- परीक्षा, आंतरिक शुल्क (प्रतिवर्ष)..

X- ट्रेनिंग एण्ड पलेसमैंट फण्ड (प्रतिवर्ष) ....

XI- लाईब्रेरी फण्ड (प्रतिवर्ष) ....

XII- संस्थागत प्रतिभूति राशि (Refundable) and I.T. Literacy Fee ....

(क) शुल्क/प्रतिभूति राशि का आरोपण बिना सूचना परिवर्तित हो सकता है।

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय 1000/- रूपये धरोहर के रूप में संस्थान प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने होंगे जो उसके प्रशिक्षण की समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिये जायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी मशीन या अन्य उपकरणों की टूट–फूट का जिम्मेवार होगा। यह उसके यदि कोई उपकरण गुम हो जाये तो उस द्वारा दी गई उसकी धरोहर राशि से उतना मूल्य काट दिया जायेगा और यदि नुकसान धरोहर राशि से अधिक हो तो उसे अधिक राशि भी जमा करवानी होगी।

(ग) उपरलिखित विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क के अर्न्तगत खेल–कूद, आमोद–प्रमोद, उद्योग/संस्थानों/परियोजना भ्रमण/वार्षिक उत्सव तथा विद्यार्थियों के लिए अन्य सुविधाऐं देने का प्रयोजन हैं यह एक गैर–सरकारी फण्ड है जोकि सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा नियंत्रित किया जाता हैं।

(घ) परीक्षाऐं Examination:– प्रत्येक पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा एन.सी.वी.टी. (NCVT) परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क इत्यादि देने होंगे।

(ङ.) प्रवेश के समय प्रार्थी को केवल प्रवेश शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क ही प्रवेश नियन्त्रणकर्ता प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा करवाने होगें। शेष फण्ड प्रार्थी को प्रवेश मिले संस्थान में वहां उपस्थिति के समय जमा करवाने होंगे।

(च) सभी चुने गये अभ्यर्थी को वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक ही किश्त में जमा करवाने होंगे। जमा करवाई गई फीस वापिस नहीं होगी।

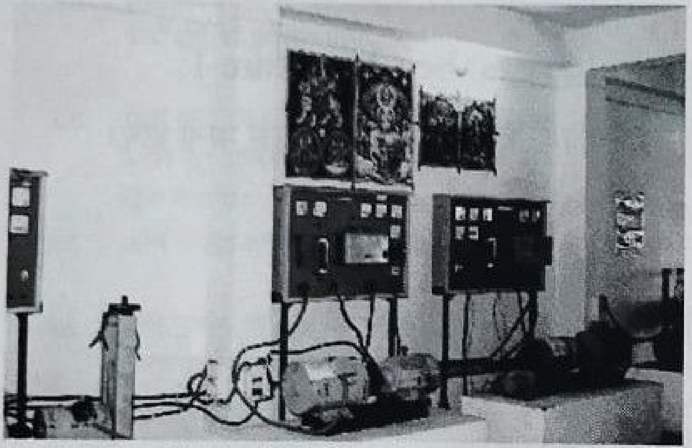

Various activities in ITI

नोट :–

5.1 ये शुल्क किसी समय बिना सूचना के परिवर्तित हो सकते हैं।

5.2 Regular प्रशिक्षणार्थियों को All India Trade Test में उनके परीक्षा केन्द्रों को बदलने की अनुमति नहीं होगी। वे जिस संस्थान के Bonafied Trainee हैं उन्हें वह परीक्षा निर्धारित केन्द्र पर देनी होगी।

5.3 सभी उपलब्ध व्यवसायों के पाठ्यक्रम एन.सी.वी.टी. (NCVT) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

5.4 इन पाठ्यक्रमों हेतु उपस्थित एवं सम्बन्धित नियम एन.सी.वी.टी. (NCVT) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

5.5 इन पाठ्यक्रमों हेतु एन.सी.वी.टी. (NCVT) द्वारा परीक्षा नियम निर्धारित किए जाते हैं।

5.6 दाखिले के लिए चुने गए प्रत्याशी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते समय सरकारी चिकित्सा अधिकारी जोकि राजपत्रित श्रेणी–२ से निम्न पदवी का न हो, द्वारा दिया गया शारीरिक योग्यता का प्रमाण–पत्र पेश करना होगा।

नोट :–

6.1 चिकित्सा प्रमाण–पत्र को साथ नहीं भेजना होगा बल्कि इसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

6.2 प्रशिक्षण के दौरान समय–समय पर परिक्षाएं ली जायेंगी तथा प्रत्येक तिमाही के अन्त में ली गई परिक्षा का परिणाम इन्टरनल असैस्मैंट में गण्य होगा परीक्षार्थी को इन्टरनल असैस्मैंट में भी कम से कम ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

6.3 दो वर्ष के प्रशिक्षण अवधि वाले व्यवसायों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर प्राथमिक परीक्षा संस्थान द्वारा ली जाएगी और उसमें निर्धारित मानदण्ड से कम अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षणार्थी को दूसरे वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोका जा सकता है अन्तिम परीक्षा का परिणाम बनाते समय प्राथमिक परीक्षा और इन्टरनल असैस्मैंट के अंकों को भी Consider किया जायेगा।

सामान्य नियम एवं विनियम

7.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में व्यावहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जो कि उसे प्रदान की गई है यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थियों एवं उसके सहपाठियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनायें गये हैं। इनको बिना सूचना दिये समय–समय पर बदला जा सकता है प्रशिक्षणार्थियों को चाहिए की वे प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त किया करें। नियमों की अज्ञानता के कारण उनका उल्लंघन करना माफ नहीं होगा।

7.2 परिक्षणार्थियों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद्–व्यवहार करें और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मानपूर्वक रहें। संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे विद्यार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों और उसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।

7.3 ऊंची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, यह बात दूसरों के लिए नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने वाली होने के नाते वर्जित होगी।

7.4 धूम्रपान, मद्यपान और जुआ खेलने को संस्थान की सीमा के अन्दर आज्ञा नहीं होगी। यदि कोई भी प्रशिक्षणार्थी इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसको अधिक जुर्माना किया जाएगा और निरंतर उल्लंघन करने वाले को संस्थान से निकाला भी जा सकता है।

7.5 कक्षा में देर से पहुँचना या कक्षा से उठकर पहले चले जाना, उस पीरियड के लिए प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति मानी जाएगी तथा बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी को 10/– रूपये प्रति आधा दिवस अर्थात (Recess) से पहले या बाद में अथवा 10/– रूपये प्रति दिवस अर्थात (Full day) की दर से जुर्माना देना होगा।

7.6 किसी उपकरण से छेड़–छाड़ करना या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करना उचित नहीं समझा जायेगा।

7.7 किसी भी प्रशिक्षणार्थी को संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

7.8 सामान, मशीनें और सब प्रकार के यंत्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखे जाएं। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट/खराब हो गए हों तो उन कारणों को इन्चार्ज को तुरन्त ही बताना होगा। यदि यह सामान असावधानी से नष्ट/खराब हुए हों तो यंत्रों, औजारों या दूसरे उपकारणों का मूल्य चुकाना होगा तथा साथ ही सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा इस हेतु आरोपित जुर्माना भी देना होगा।

7.9 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रांगण में किसी प्रशिक्षणार्थी के सामान या सम्पति इत्यादि खो जाने या नष्ट हो जाने की संस्थान पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

7.10 प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। यदि संस्थान या छात्रावास या कर्मशाला या प्रयोगशाला में किसी प्रशिक्षणार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो संस्था उसकी जिम्मेवार नहीं होगी।

7.11 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं करेगा तो उसे दो चेतावनियाँ दी जाएंगी। यदि फिर भी वह अपने अध्ययन में सुधार नहीं कर पाएगा तो उसे संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।

COMPUTER LAB

CUTTING & TAILORING WORKSHOP

PRAGATI ITI, RAJGARH

7.12 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी चरित्रहीन हो जाए या अपने कार्य को ध्यानपूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे उचित जुर्माना किया जाएगा अथवा उसे संस्थान से भी निकाला जा सकता है।

7.13 प्रवेश के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से पचास रूपये लेकर पहचान–पत्र दिये जाएंगे। पहचान–पत्र गुम हो जाने पर प्रशिक्षणार्थी को तुरन्त सूचना सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी, और उसे कम से कम 50/– रूपये जुर्माना तथा 50 रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान–पत्र शुल्क लेकर पहचान–पत्र दिया जायेगा। इसकी सूचना न देने पर या बाद में पता लगने पर प्रशिक्षणार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ जो भी जुर्माना हो सकता है।

7.14 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी धन राशि स्थानीय डाक घर या बैंक में जमा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की धनराशि के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

7.15 संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में सम्बन्धित प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम व सभी प्रशिक्षणार्थी के लिए मान्य होगा।

7.16 यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य महोद्‌य को यह पता लग जाये कि अमुक प्रशिक्षणार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृति प्राप्त करने हेतु किसी जाली प्रमाण पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है तो उसे तत्काल संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा और इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि इस अनुपयुक्त विधि से किसी प्रशिक्षणार्थी ने छात्रवृति की कोई राशि प्राप्त कर ली हो तो ब्याज सहित वह राशि भी उसे वापिस करनी होगी।

Activities in ITI, Rajgarh

7.17 लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना आज्ञा प्राप्त किये अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान से काट दिया जाएगा। इस प्रकार नाम कटा प्रशिक्षणार्थी यदि नाम काटने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतु वापिस आ जाये तो उसे निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की अनुमति से सम्बन्धित प्रधानाचार्य चाहे तो फिर कक्षा में दोबारा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 150/– रूपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे परन्तु डी.जी.ई. एण्ड टी. द्वारा निर्धारित निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी परीक्षा उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर ही अखिल भारतीय परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

7.18 संस्थान में मोबाईल फोन वर्जित है, उल्लघंन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार रूपये 100/– का जुर्माना लिया जाएगा दूसरी बार 200/– का तथा अन्तिम बार 500/– रूपये का जुर्माना लिया जाएगा, उसके पश्चात् भी यदि प्रशिक्षाणार्थी उल्लंघन करता है तो उसे संस्थान से निकाला जा सकता है।

7.19 रैगिंग कानूनी तौर से वर्जित है।

7.20 वर्दी के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान द्वारा निधारित आदेशों का पालन करना होगा:–

१. लड़को के लिए :– स्काई ब्ल्यू कमीज, नेवी ब्ल्यू पैंट और काले बूट।

२. लड़कियों के लिए :– हरी कमीज, सल्वार तथा दुपट्टा।

नोट :-

8.1 चलती मशीनों पर काम करने वालों को उपरोक्त वर्दी के उपर डांगरी का प्रयोग करना होगा।

8.2 वर्दी पहन कर न आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 10/– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जायेगा तथा निरन्तर उल्लंघन कर्त्ताओं को संस्थान से निकाल दिया जायेगा।

8.3 कक्षाओं एवं कार्यशालाओं में प्रशिक्षणार्थियों को चप्पल तथा ढीले एवं Synthetic fibres के बने वस्त्र इत्यादि पहन कर आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना हो सकता है तथा स्वाभाविक उल्लंघन कर्त्ताओं को संस्थान से निकाला भी जा सकता हैं।

प्रमाण पत्र

सम्बन्धित इलाके के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र साधारणतः जारी किये गए निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलगित करने होंगे।

शेष वर्गों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों हेतु निर्धारित प्रपत्र संलगित है, जिसके अनुरूप सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के साथ संलगित करने होंगे अन्यथा आवेदन–पत्र अधूरा माना जाएगा।

1. हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।
2. अनुसूचित जातियों/जन जातियों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।
3. पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

आवेदन–पत्र देने का विधान (Procedure for Applying)

प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी का आवेदन–पत्र इस विवरण पुस्तिका (Prospectus) संलगित आवेदन–पत्र (Admission Form) पर, निर्धरित तिथि तक (विवरण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित सम्बन्धित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अपूर्ण अथवा बिना सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों सहित दिया गया अथवा ठीक से न भरा गया आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा । प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रवेश नहीं होगा, परन्तु यह प्रवेश परिशिष्ट के अन्तर्गत दी गई प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप होगा । निर्धरित तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन–पत्र अस्वीकार (Reject) कर दिया जायेगा । प्रत्याशी को प्रवेश आवेदन–पत्र में की गई प्रत्येक (Cutting) को अपने हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि करना होगा अन्यथा वह आवेदन–पत्र अपूर्ण माना जायेगा और उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है।

नोट :– प्रवेश हेतु आवेदन :– अधिसूचित अन्तिम तिथि को सांय ५ बजे तक निर्धारित कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए चाहे आवेदक द्वारा दी गई निर्धारित परीक्षा (Qualifying exam.) का परिणाम घोषित न हुआ हो अथवा इन परीक्षाओं की अंक तालिका / परिणाम फल आवेदक को प्राप्त न हुए हों । अंक तालिका परिणाम फल की सत्यापित प्रतिलिपि प्रत्याशी द्वारा प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु निर्धरित तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक दिए जा सकते हैं बशर्ते कि प्रवेश आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक पहले ही दे दिया गया हो ।

(2) (i) प्रत्याशी को प्रवेश के लिए केवल एक ही आवेदन–पत्र देना होगा । रोस्टर के क्रम से वर्ग की योग्यतानुसार (As per merit) प्रत्याशी को प्रवेश हेतु बुलवाया जायेगा तथा प्रत्याशी द्वारा उसके प्रार्थना–पत्र में क्रमानुसार लिखे गये व्यवसायों में से स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

(ii) प्रत्याशी को केवल एक वर्ग एवं उप वर्ग जिसके अन्तर्गत वह प्रवेश चाहता/चाहती है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा । एक से अधिक वर्ग/उप वर्ग लिखने पर केवल प्रथम वर्ग/उप वर्ग पर ही विचार किया जायेगा । वर्ग एवं उप वर्ग का उल्लेख न करने पर प्रत्याशी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा उसे सामान्य वर्ग का माना जायेगा ।

(iii) बिना टिकट लगाये अपना पता साफ–सुथरा लिखे दो लिफाफे साईज 7"x 4" A भेजने होंगे।

NO. 1920

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

ADMISSION FORM

FOR ADMISSION IN PRAGATI-ITI, RAJGARH

NOTE:

1. Common application form for ITI Admission.

PROFORMA OF ADMISSION APPLICATION FORM

1.1- Name (in block letters): ....

1.2- Father's / Mother's / Husband's Name: ....

1.3- Postal Address: ....

1.4- Telephone No. with STD Code .... Email ID: ....

1.5- Date of Birth (in Christian Era.) ....

....

Mobile No. ....

1.6: Marital Status (whether single or married) ....

1.7- (a) whether SC/ST/OBC: .... Sub Category ....

(b) Mention the category in case of wards of Defence Personnel.

(j) Children of deceased / disabled Ex-servicemen Including those killed / disabled during peace time:

(ii) Children of Ex-servicemen.

(iii) Children of serving Jawans:

(iv) Children of serving officers:

(v) Ex-servicement:

© Mention Sub Category: ....

1.8: Qualifications:

I ACADEMIC

Examination passed	Board University	Year	% of marks	Grade	Grade Multiplier	% of Marks
Matric						
10+2						
Other						

(b) TECHNICAL (ITI and other)

Examination passed	Examination Body	Year	Year & Duration	Subject	% of Marks

(C) **Name & Trade to be filled by candidate.**

1 ______________________________

2 ______________________________

3 ______________________________

4 ______________________________

NOTE:

Please attached attested copies of certificate as mentioned above:

(Enclose attested copy of certificate/marks sheet of all examination passed as proof. SC/ST/OBC candidates should submit cast certificate not below the rank of Tehsildar Claims of subcategory shall only be valid if certificates are issued by the competent authority. Incomplete application not accompanied with the attested copies of the relevant testimonial / Certificate / Mark Sheets will be rejected.

Date: **Signature of the Applicant**

ACKNOWLEDGMENT

(Name & Trade to be filled by candidate)

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

Received Application Form from Miss/ Mrs. .... for the

....

along with certificate:

1-

2-

3-

4-

5-

Date: **For Principal**

पोस्ट कार्ड
भारत सरकार सेवार्थ

सेवा में,

....

....

.... पिन ....

प्रत्याशी को यहीं अपना पूरा पता साफ-साफ लिखना चाहिए।

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,

प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़

.... जिला सिरमौर हि0 प्र0

पोस्ट कार्ड
भारत सरकार सेवार्थ

सेवा में,

....

....

.... पिन ....

प्रत्याशी को यहीं अपना पूरा पता साफ-साफ लिखना चाहिए।

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,

प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़

.... जिला सिरमौर हि0 प्र0

चयन के समय केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
FOR OFFICE USE AT THE TIME OF SELECTION ONLY

1. Date of receipt of application ....

2. Date of interview / counseling ....

3. Aggregate equivalent percentage of marks ....

4. Category to which the candidate belongs:-

   (A) Main Category : GEN / SC / ST / OBC.

   (B) Sub Category of Main Category :

   DEF / FF / P.H / IRDP-Antodya-Orphan / SPT / RBA.

5. Result of selection ....

6. Institute allotted ....

7. Trade allotted ....

8. Date of joining the course ....

9. Whether selected For: -

   Free Seats / Payment Seats / Sponsored seats of ITI/

10. Remarks if any:-

Date ....

Members
Selection Committee

Chairman
Selection Committee

1. 2. 3.

परिशिष्ट-1

विषयः- प्राप्ति कार्ड (Acknowldegement Card)
विवरणः- पंजीकृत संख्या (Registration No.) ....
(इस कार्यालय से अपने प्रवेश सम्बन्धी प्रत्येक पत्र-व्यवहार करते समय कृप्या उपरोक्त पंजीकृत संख्या का विवरण अवश्य दें)

श्रीमान जी,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान .... मे सत्र .... के प्रवेश हेतु आपका आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हो गया हैं

2. आप प्रवेश हेतु आयोग्य हैं क्योंकिः-
(क) ....
(ख) ....

3. आपके आवेदन-पत्र में निम्नलिखित त्रुटियां हैः-
(क) ....
(ख) ....

4. आपका प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

संस्थान की मोहर

निरीक्षण अधिकारी

कार्यालय के रिकार्ड हेतु
(परिशिष्ट-1)
प्रतिपूर्ण (Counterfoil)

पृष्ठाकंन संख्या .... दिनांक ....
विषयः- प्राप्ति कार्ड (Acknowledgement Card)
(विवरणः- पंजीकृत संख्या (Registration No.) ....
(इस कार्यालय से अपने प्रवेश सम्बन्धी प्रत्येक पत्र-व्यवहार करते समय कृप्या उपरोक्त पंजीकृत संख्या का विवरण अवश्य दें)

श्रीमान जी,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान .... मे सत्र .... के प्रवेश हेतु आपका आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हो गया हैं

2. आप प्रवेश हेतु आयोग्य हैं क्योंकिः-
(क) ....
(ख) ....

3. आपके आवेदन-पत्र में निम्नलिखित त्रुटियां हैः-
(क) ....
(ख) ....

4. आपका प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

संस्थान की मोहर

निरीक्षण अधिकारी

प्रमाण पत्र

सम्बन्धित इलाके के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र साधरणतः जारी किये गए निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलगित करने होगें।

शेष वर्गो से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों हेतु निर्धारित प्रपत्र संलगित है, जिसके अनुरूप सम्बन्धित प्रमाण पत्र के साथ संलगित करने होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अधूरा माना जाएगा।

1 हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र ।

2 अनुसूचित जातियों/जन-जातियों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।

3 पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट - III
APPENDIX-III

हिमाचल प्रदेश / भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।

(केवल हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु)

(यह प्रमाण-पत्र केवल तभी पूरा माना जाएगा यदि इसके साथ निम्न नोट-2 के अनुरूप सम्बन्धित SDM/ Executive Magistrate महोदय द्वारा attested affidavit साथ लगा हो अन्यथा यह प्रमाण-पत्र अधूरा माना जाएगा और प्रत्याशी का प्रवेश आवेदन-पत्र भी अधूरा ही गिना जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....
(पिता/माता का नाम)

.... जो कि श्री/कुमारी .... का/की
(प्रत्याशी का नाम)

पिता/ माता है, वह हिमाचल प्रदेश सरकार / भारत सरकार के .... विभाग का/की
(विभाग का नाम)

कर्मचारी है वह .... तिथि से इस विभाग में कार्यरत है तथा ....

कार्यालय में .... स्थान पर कार्यरत है।
(स्थान का नाम)

कार्यालय की मोहर

....
विभागाध्यक्ष
की मोहर तथा पदवी सहित हस्ताक्षर

दिनांक ....

नोटः- 1- हिमाचल प्रदेश सरकार / भारत सरकार के कर्मचारी जिस जिले में नियुक्त हों उसके अर्न्तगत भी अपने बच्चे का आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उस जिले का निवासी ही माना जायेगा परन्तु वह केवल एक जिले के अर्न्तगत ही अपने बच्चे के प्रति आवेदन-पत्र दे सकते हैं अर्थात् या तो अपने सम्बन्धित निवासी जिले में जहां के मूल निवासी हैं अथवा जिले में जहां कि वे कार्यरत हों।

1 यदि हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार का कर्मचारी अपने बच्चे का आवेदन-पत्र अपने नियुक्त वाले स्थान के जिले के अर्न्तगत दे रहा हो (अपने सम्बन्धित निवासीय जिले के अर्न्तगत नहीं तथा दोनों जिले अलग-अलग हों) तो उसे नियुक्त वाले स्थान से सम्बन्धित जिले के SDM/Executive Magistrate महोदय से Attested करवा कर यह Affidavit देना होगा कि वे अपने बच्चे का प्रवेश आवेदन-पत्र अपने नियुक्त वाले जिले के अर्न्तगत दे रहा है, अपने सम्बन्धित निवासीय जिले के अर्न्तगत नहीं और वह अपने बच्चे का केवल एक जिले के अर्न्तगत आवेदन-पत्र दे रहा है इस Affidavit के बिना हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के बच्चे का आवेदन-पत्र

Affidavit

Compulsory for All Trainees
Undertaking form for the students as per the provisions of ANTI-RAGGING verdict by the Hon'ble Superme Court

(To be executed on a 10/- Non Judicial stamp paper duly attested by a First Class Magistrate or Notary Public.

I, Mr. / Mrs. .... Roll No. ....

Trade .... Batch / Year ....

Student of .... ITI do here undertake on this day .... month ....

year .... the following.

1. That I have read and understood the directives of the Hon'ble Supreme Court of Indian Anti-ragging and the measures proposed to betaken in the above reference.

2. That I understand the meaning of Ragging and know that the ragging in any form is a punishable offence and the same is banned by the Court of Law.

3. That I have not been found or charged for my involvement in any kind of ragging in the past. However, I undertake to face disciplinary action / legal proceeding including expulsion from the ITI if the above statement is found to be untrue or facts.

4. That I shall not resort to ragging in any form at any place and shall abide by the rules / laws prescribed by the courts. Govt. of India and the ITI authorizes for the purpose from time to time.

Signature of Student

I hereby fully endorse the undertaking made by my child/ward.

Signature of Mother/Father and or Guardian ....

Witness with name and Address : ....

....

....

परिशिष्ट-IV
APPENDIX-IV

सुरक्षा कर्मचारियों (**Defence Personnel**) तथा भूतपूर्व सुरक्षा कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

1. संस्था .... पदवी .... श्री.......................................

जो कि श्री/कुमारी/श्रीमती ....(पिता का नाम)..................................

का पिता/पति हैं तथा ....(प्रत्याशी का नाम)..

मैं .... से .... तक सेवा कर रहा हैं, सेवा की हैं
(रेजिमैंट या बटालियन का नाम)

(अ) .... के सक्रिय युद्ध मे अथवा शान्ति कालिन समय (Peace Time) में शहीद हुआ था।

(उस युद्ध का नाम तथा वर्ष लिखें)

(आ) .... के सक्रिय युद्ध मे अथवा शान्ति कालिन समय (Peace Time) में अपंग हो गया था।
(उस युद्ध का नाम तथा वर्ष लिखें)

(इ) सक्रिय सेवा से सामान्य सेवा परिस्थितियों के अर्न्तगत सेवा निवृत्त हुआ था।

(ई) अब भी सक्रिय सुरक्षा में है।

स्थान ....

कार्यालय की मोहर

तिथि ....

....
राज्य/ जिला सैनिक बोर्ड के सचिव सम्बन्धित कमॉडिंग ऑफिसर के कार्यालय की मोहर तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।

जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट-VIII

APPENDIX-VIII

स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (Medical Certificate)

(नोटः- यह प्रमाण-पत्र केवल दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा)

मैं डाक्टर .... सिविल अस्पताल .... प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/कुमारी .... जिसका फोटो मुझ द्वारा स्त्यापित करके यहां चिपकाया गया है का निरीक्षण भली प्रकार सावधानी से किया है और उसमें कोई ऐसी शारिरिक कमी नहीं है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु किसी प्रकार बाध्य हो। मैं इससे आगे सूचित करता हूं किः-

1. उसकी ऊचांई .... मीटर है।
2. उसका भार .... किलोग्राम है।
3. उसकी छाती का माप (फेलाकर) .... (बिना फेलाकर) .... सैंटीमीटर है।
4. उसकी आंखे .... प्रतीत होती है।
5. यह ऐनक लगाता/लगाती है .... नहीं लगाता/लगाती है ....
   दाई आंख .... निकट दृष्टि .... दूर दृष्टि ....
   बाई आंख .... निकट दृष्टि .... दूर दृष्टि ....
6. उसकी दृष्टि निर्धारित स्तर के अनुसार है।
7. उसका हृदय ता छाती दृढ़ है।
8. उसका रक्त ग्रुप .... हैं।
9. इसको ऐसी बीमारी या शारिरिक या दिमागी अस्थिरता नहीं है जो कि उसकी इस समय या निकट भविष्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा फील्ड डियुटी के अयोग्य बनाने की सम्भावना रखती हो तथा न ही संसर्ग अन्य अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित हैं।

पहचान के निशान ....अतः प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश योग्य हैं।

विद्यार्थी के अंगूठे के निशान ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

स्थान ....

प्रत्याशी का पासपोर्ट माप का फोटो

....

स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर, पदवी तथा हस्पताल की मोहर

यह फोटो प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

नोटः- 1. यह प्रमाण-पत्र उस स्वास्थ्य अधिकारी से अनुप्रमाणित होना चाहिए, जो कि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्तर से कम का न हो।

2. स्वास्थ्य अधिकारी को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर फोटो के ऊपर लगानी चाहिए।
3. यह प्रमाण-पत्र प्रवेश पत्र के साथ नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि प्रत्याशी अपने पास रखे और दाखिले के समय प्रस्तुत करें।
4. Mental Retarded प्रत्याशियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाऐगा।
5. योग्यता क्रम में आने वाले ऐसे प्रत्याशी जिनके केवल मात्रा एक आंख में ही ठीक एवं पर्याप्त दृष्टि हो, को केवल उन्हीं व्यवसायों में प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा जिनमें कि केवल एक आंख की दृष्टि प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त हो तथा प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में बाधक न हो। ऐसे प्रत्याशियों को योग्यता अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय की डी.जी.ई.टी द्वारा इस विवरणिका में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता रखना अनिवार्य होगा। संसर्ग अथवा संक्रामक रोगो से पीडित प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाऐगा।
6. विकलांग प्रत्याशी का निदेशक समाज एवं महिला विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या 5-7/88 वैल-ए-एच, 3-3-1989 में निर्धारित निर्देशानुसार, जिला स्तर पर गठित किए गए मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा तथा इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलगित होनी अनिवार्य है अन्यथा आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

परिशिष्ट–IX

APPENDIX-IX

MEDICAL CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAPPED CANDIDATES

Certified that We, Dr. .... Dr .... and Dr .... as members of District Level medical Board have thoroughly examined on .... Sh./Kumari .... s/o. d/o Shri .... on .... day of .... year .... the applicant, whose particulars are given below:

PASTE PHOTO

1. Name of candidate Shri/Miss ....
2. Age/Sex ....
3. Father's name Shri ....
4. Address ....
....
5. Identification mark ....
6. (a) Nature of disability ....
   (b) Extent of disability ....
   (c) Limbs affected ....
   (d) Use of appliance, if any ....
   (such as callipers, crutch etc.)
   (e) Whether suffering from vancreal or any epidemic desease.
7. Any other particular to clarify the nature and Extent of disability, that the medical board might like To point out:-
....
....
8. Blood Group ....

(Photograph to be attested by a member of the Medical Board with signatures, date and office stamp).

(Signature of Candidate)

Signature of Member of Board	Signature of Member of Board	Signature of Chief Medical Officer/Sub-Divisional Medical Officer
Designation	Designation	
Date	Date	Date ....

Note: This certificate is to be issued by a medical Board at the District levelconstituted on accordance with the provision contained in the letter No. 5-7/88-Wel-AH dated 23-03-1989 of Director, Social and Women's Welfare, Himachal Pradesh Shimla (Or as amended from time to time) consisting of the following members:- The chief medical Officer/ Sub-Divisional Medical Officer in the District and an expert in the specified fieldviz. Opthalmic Surgeon in case of visual handicaped, Orthopacdi Surgeon etc. Other condition for the certificate remains same as mentioned in Annexure-IX.

परिशिष्ट-X

प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़ के अन्तर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतू आवेदन पत्र

प्रत्याशी का पासपोर्ट माप का प्रमाणित फोटो

1. प्रत्याशी का नाम ....
2. पिता/माता का नाम ....
3. व्यवसाय/क्षेत्र का नाम ....
4. आई.टी.आई. का नाम ....
5. पूरा पताः
   (अ) स्थाई ....
   ....
   ....
   .... पिन ....
   (आ) अस्थाई ....
   ....
   .... पिन ....
   In Emergency Telephone No. ....
6. जन्म तिथिः
   अंको में: ....
   शब्दो में: ....
   प्रत्याशी की प्रथम अगस्त, 2019 को आयुः .... वर्ष .... माह.........
7. रक्त ग्रुप ....
8. वर्ग तथा उप-वर्ग का नाम जिसके अन्तर्गत आप प्रवेश हेतू आवेदन कर रहे हैं:-

(I) वर्ग

(I) उपवर्ग

Industrial Training Institute

PRAGATI ITI

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

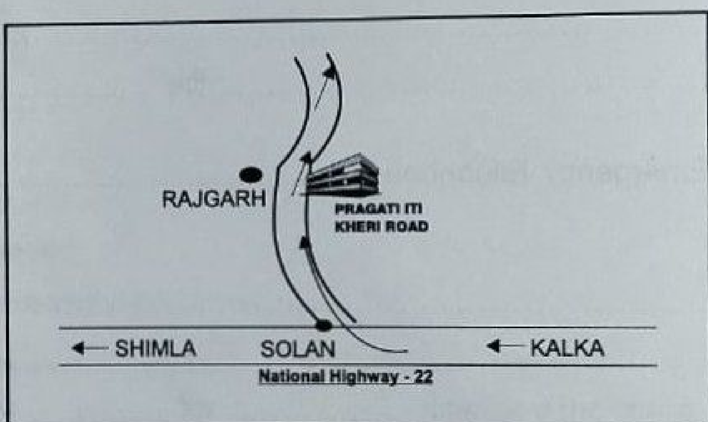

FOR ADMISSION CONTACT :

प्रधानाचार्य, प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, *(ITI)*
खैरी रोड़, राजगढ़, जिला सिरमौर – 173 101
Tel.: 01799-221019 M.: 70181-93195, E-mail: pragatipvtiti@gmail.com

iTi
Industrial Training Institute

NCVT, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

इलैक्ट्रीशियन
ELECTRICIAN

अवधि : 2 वर्ष
योग्यता: 10वीं पास

सरकार द्वारा निर्धारित फीस

10th BATCH

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOL (NIOS) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

कटिंग एण्ड टेलरिंग व ड्रैस मेकिंग
CUTTING & TAILORING DRESS MAKING

अवधि : 1 वर्ष

योग्यता: 5th, 8th, 10th & Above

कटिंग एण्ड टेलरिंग
CUTTING & TAILORING

अवधि : 6 माह

सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION

अवधि : 1 वर्ष

योग्यता: 10th, +2 & Above

सर्टिफिकेट इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग
CERTIFICATE IN DESKTOP PUBLISHING

अवधि : 6 माह

दाखिला पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर

FOR ADMISSION CONTACT :

PRAGATI INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
KHERI ROAD, RAJGARH, DISTT. SIRMOUR (H.P.)-173101
Tel.: 01799-221019 M.: 70181-93195 e-mail: pragatipvtiti@gmail.com